T.A. Misc. Case No. 22/2020-21

आदेश की क्रम संख्या और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख के साथ
12.01.2021	अभिलेख उपस्थापित। यह अभिलेख श्री मोरन सिंह बिरूवा, पिता– स्व० गुरूचरण बिरूवा, निवासी ग्राम– अधिकारी, थाना– मझगाँव, परगना– कोल्हान, जिला– पश्चिमी सिंहभूम जो अनुसूचित जनजाति अन्तर्गत 'हो' जाति के है, के द्वारा खाता संख्या– 4, प्लॉट संख्या– 747, रकवा– 47 डिसमिल भूमि जो मौजा– अधिकारी, थाना संख्या– 395, परगाना– कोल्हान, जिला– पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है, क्रेता श्री मोरन सिंह बिरूवा, पिता– श्री सागु बिरूवा, ग्राम– अधिकारी, थाना– मझगाँव, परगना– कोल्हान, जिला– पश्चिमी सिंहभूम जाति 'हो' (अनुसूचित जनजाति) के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत बिक्री किये जाने की अनुमति की मांग को लेकर प्रारम्भ किया गया है। आवेदन के साथ क्रेता एवं विक्रेता का स्थानीय निवासी/जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। विक्रेता श्री मोरन सिंह बिरूवा का जाति प्रमाण पत्र संख्या– JHCST/2020/75433 दिनांक– 09.07.2020 एवं क्रेता मोरन सिंह बिरूवा, को निर्गत जाति प्रमाण पत्र संख्या– JHCC/2017/271021 दिनांक– 20.03.2017 है, जो अंचल अधिकारी, मझगाँव द्वारा निर्गत है। विक्रेता श्री मोरन सिंह बिरूवा को निर्गत निवासी प्रमाण पत्र संख्या– JHLRCO/2020/101299 दिनांक– 09.07.2020 एवं क्रेता मोरन सिंह बिरूवा, को निर्गत निवासी प्रमाण पत्र संख्या– JHLRCO/2020/183095 दिनांक– 14.09.2020 है, जो अंचल अधिकारी, मझगाँव द्वारा निर्गत है। प्रमाण पत्र के अनुसार क्रेता एवं विक्रेता मझगाँव अंचल के अधिकारी मौजा के निवासी है, जो मझगाँव थाना के अंतर्गत आता है तथा इनका जाति 'हो' है जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आता है। अंचल अधिकारी, मझगाँव से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी थी, जिसके आलोक में उनके पत्रांक– 270 दिनांक– 06.11.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। अंचल अधिकारी, मझगाँव एवं ग्रामीण मुण्डा द्वारा आवेदित भूमि विक्री करने की अनुशंसा की गयी है। अवेदित भूमि पंजी II में विक्रेता श्री मोरन सिंह बिरूवा एवं गोपीनाथ बिरूवा, पिता– गुरूचरण बिरूवा के नाम से उत्तराधिकारी नामांतरण द्वारा नामान्तरित है। दिनांक 12.01.2021 को क्रेता, विक्रेता एवं ग्रामीण मुण्डा की उपस्थिति में सुनवाई की गई है। ग्रामीण मुण्डा श्री मोरन सिंह बिरूवा द्वारा लिखित व्यान दिया गया है कि आवेदित भूमि आवेदक के दखल एवं हिस्सा में है एवं विक्री करने के बाद विक्रेता के पास भरण–पोषण हेतु 5.00 (पाँच) एकड़ से अधिक भूमि शेष बच जाता है। मुण्डा द्वारा स्व० गोपीनाथ बिरूवा के पत्नी सविता बिरूवा का अनापति प्रमाण पत्र एवं वंशावली दाखिल किया गया है।	

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख के साथ
13.01.2024	अंचल अधिकारी, मझगाँव एवं ग्रामीण मुण्डा के द्वारा विक्री अनुमति की अनुशंसा की गई है। आम सूचना निर्गत किया गया था, जिसके उपरान्त कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अंचल अधिकारी, मझगाँव के जाँच प्रतिवेदन में यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि विक्रेता द्वारा धारित कुल भूमि का रकवा 14.43 एकड़ है एवं बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास परिवार के भरण–पोषण हेतु 6.75 एकड़ भूमि बच जाता है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला पश्चिमी सिंहभूम के निवासी है तथा दोनो 'हो' जाति के हैं तथा अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आता है। अतः आवेदक के आवेदन, अंचल अधिकारी, मझगाँव एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदित भूमि मौजा– अधिकारी, थाना संख्या– 395, खाता संख्या– 4, प्लॉट संख्या– 747, रकवा– 47 डिसमिल भूमि क्रेता श्री मोरन सिंह बिरूवा, पिता– श्री सागु बिरूवा, ग्राम– अधिकारी, थाना– मझगाँव, परगना– कोल्हान, जिला– पश्चिमी सिंहभूम जाति 'हो' (अनुसूचित जनजाति) के अन्तर्गत आते हैं, को आवेदित राशि अथवा सरकार द्वारा निर्धारित राशि जो अधिक हो पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 46(1) प्रोभिजो 'ए' के अन्तर्गत बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। 17/01 अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा। 17/01/2024 अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।	

Digitally signed by Santosh Kumar Sinha
Date: 2022.12.31 12:19:37 +05:30
Location: 10.93.66.35

Scanned with CamScanner